

**प्रेस विज्ञप्ति**

**दिनांक: 25 सितम्बर, 2025**

## सहायक निर्वाची पदाधिकारियों का राज्य स्तरीय दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न

बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 की तैयारियों के अंतर्गत सहायक निर्वाची पदाधिकारियों का राज्य स्तरीय दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम गुरुवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के सभागार में संपन्न हुआ।

प्रशिक्षण में राष्ट्रीय स्तर के मास्टर प्रशिक्षकों ने नामांकन, संवीक्षा, अभ्यर्थिता वापसी, प्रतीक आवंटन, एम.सी.एम.सी., आदर्श आचार संहिता, मतगणना प्रक्रिया तथा पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया पर विस्तृत जानकारी दी।

एनएलएमटी श्री अशोक प्रियदर्शी ने संपत्ति विरुपण अधिनियम- 2010 के प्रावधानों से अधिकारियों को अवगत कराया ताकि चुनाव की घोषणा होते ही समय पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने मतगणना और परिणाम घोषणा की प्रक्रिया तथा वीवीपैट पर्चियों की गिनती से जुड़े नियमों की भी व्याख्या की।

स्टेट मीडिया नोडल पदाधिकारी श्री कपिल शर्मा ने मीडिया मॉनिटरिंग, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC) के अनुपालन, फेक न्यूज एवं भ्रामक सूचना से निपटने की रणनीति और कानूनी प्रावधानों पर चर्चा की। उन्होंने एग्जिट पोल और साइलेंस पीरियड के नियम स्पष्ट करते हुए बताया कि चुनाव समाप्ति से 48 घंटे पहले प्रचार-प्रसार पर रोक लग जाती है, जबकि एग्जिट पोल का प्रकाशन या प्रसारण प्रथम चरण की मतदान प्रक्रिया शुरू होने से लेकर अंतिम चरण की समाप्ति के आधे घंटे बाद तक प्रतिबंधित रहता है।

उन्होंने यह भी बताया कि सोशल मीडिया पर आचार संहिता पालन की निगरानी, राजनीतिक दलों के व्यय की मॉनिटरिंग तथा सहायक निर्वाची पदाधिकारियों द्वारा सोशल मीडिया विज्ञापनों के खर्च दर्ज करने की विधि को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं।

एनएलएमटी श्रीमती निवेदिता सिन्हा ने आईटी एप्लीकेशंस के प्रयोग पर प्रकाश डालते हुए बताया कि प्रत्येक नामांकन ऑनलाइन अपलोड किया जाना आवश्यक है, तथा सभी तरह की अनुमतियां भी ऑनलाइन माध्यम से दी जाएँगी। उन्होंने ETPBM प्रणाली के तहत सर्विस वोटर्स को उपलब्ध कराए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया की भी जानकारी दी।

एनएलएमटी श्री धीरज कुमार ने ईवीएम और वीवीपैट के प्रयोग की प्रक्रिया समझाई। उन्होंने चुनाव दिवस के विभिन्न प्रोटोकॉल और तकनीकी व्यवस्थाओं से सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को अवगत कराया।